...लय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...ख्या : 33/2009

1. कन्हैयालाल पुत्र
2. सत्यनारायण पुत्र
3. रामकन्या पुत्री
4. दाखा बाई बेवा

पिसरान सीताराम जातिगण लुहार निवासीगण रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 12.08.2009 निर्णय दिनांक : 28.03.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के पिता स्व0 सीताराम पुत्र बूच्या के खाता संख्या 204 में खसरा नं0 787 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 789 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 1123 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 1307 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 1329 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 45 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। दौराने सेटलमेंट उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर दर्ज किये है जो पुराने खसरा नं0 787 के नये 918 रकबा 1.79 है0, खसरा नं0 719/2073 रकबा 0.15 है0, पुराने खसरा नं0 1123 के नये खसरा नं0 912 रकबा 1.14 है0, पुराने खसरा नं0 1307 के नये खसरा नं0 711 रकबा 2. 27 है0 पुराने खसरा नं0 1329 के नये खसरा नं0 807 रकबा 1.68 है0 दर्ज किये गये है। राजस्व कार्मिको ने दौराने सेटलमेंट त्रुटीवश पुराने खसरा नं0 789 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा का कोई नया खसरा नम्बर दर्ज नही किया है न ही कोई नक्शा कायम किया औरा ना ही नक्शा कायम किया पुराने खसरा नम्बर 789 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा मौके पर आज भी वही स्थित है जहां पर सेटलमेंट के पूर्व यह आराजी स्थित थी और इसी जगह पर वादी आराजी को काश्त कर रहे है। वादी पुराने खसरा नं0 789 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा के रेकार्डेड खातेदार है और पुनः इस आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः

कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक डिक्री निम्न आशय की पारित फरमावें की खसरा नं0 789 रकबा 1 बीघा 19 वाके माल रायथल के नवीन खसरा नं0 व रकबा तथा इस आराजी नवीन नक्शा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर वादीगण के खाते दर्ज किया जावे।

इस आशय का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तहसीलदार मांगरोल ने जवाब दावा दिनांक 06.12.2012 को प्रस्तुत किया जिसके अनुसारः–

01. मुताबिक जमाबंदी प्रतिलिपि संलग्न अनुसार सम्वत 2034–2037 में सीताराम पुत्र बूच्या के खाते में किता 5 रकबा 45 बीघा 15 बिस्वा दर्ज रेकार्ड होना स्वीकार है।
02. दावे के साथ मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि नही होने के कारण मिलान क्षेत्रफल से नये नम्बरान व रकबे को प्रमाणित करने का भार वादी पर है।
03. मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि नही होने से बिन्दु संख्या 3 आंशिक स्वीकार हे।
04. यह कि वादी गण के पिता सीताराम के वारिसान के पक्ष में सेटलमेंट के बाद जो यह नया खाता नम्बर 495 किता 8 रकबा 5.91 है0 कायम किया गया है गत व हाल के रकबे की गणना करने पर सेटलमेंट के पूर्व 45 बीघा 15 बिस्वा भूमि की तुलना में बाद बन्दोबस्त किता 8 रकबा 5.91 है0 रकबा बनाया गया है जो गत के मुकाबले में 1.49 है0 यानी 9 बीघा भूमि के लगभग कम होती है, क्या कारण है कि वादी केवल 1 बीघा 14 बिश्वा भूमि को दर्ज करवाना चाहता है इसको दर्ज रेकार्ड कराने से पूर्व वादीगण को माननीय न्यायालय को यह प्रमाणित कराना होगा कि ऐसा क्यो, 9 बीघा भूमि की तुलना में 1 बीघा 14 बिश्वा भूमि ही क्यो मांगी जा रही है, यह प्रमाणित करना वादी पर निर्भर है अन्यथा दावा खारिज योग्य होगा।
05. 9 बीघा के बदले कम रकबा ही क्यो मांग किया जा रहा है इस को साबित करने का भार वादी पर है।

प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल ने विशेष कथन में अंकन किया किः–

वादी के पुराने खसरा नं0 789 रकबा 1 बीघा 19 बिश्वा थे, जिसके सेटलमेंट में नवीन नम्बर पृथक से दर्ज नही हुए है, किन्तु इसके समीप के खसरा नम्बर 787 मि0 जिसका रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा था जिसका नवीन खसरा नं0 918 बनया है जिसमें 9 बीघा 5 बिस्वा का रकबा 1.49 होना चाहिए था जो 1.79 है0 दर्ज किया गया, तथा खसरा नं0 787 मि0 में दूसरा एक नवीन खसरा नं0 919/2073 रकबा 0.15 है0 दर्ज किया, इस प्रकार इन दोनो नम्बरो का कुल रकबा 1.94 है0 होता है जब कि पुराने नम्बर से 787

घा 5 बिस्वा व 789 रकबा 1.19 है0 दोनो का मिलाकर 11 बीघा 4 बिस्वा होता है जिसका णाली से 1.81 है0 होना चाहिए था जबकि इनका रकबा सेटलमेंट द्वारा दिया गया है जो 1.94 है0 जो निश्चित रूपेण गत के मुकाबले बेशी है खसरा नं0 789 के बारे में वाद में निवेदन है कि सेटलमेंट रा पृथक से नम्बर दर्ज नही किया गया है किन्तु इसका रकबा नवीन नम्बरो 918 व 919/2073 में दर्ज कर दिया गया है रकबे में कोई कमी नही हुई है। अतः दावा खारिज योग्य है।

न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजो, न्यायिक दृष्टांतो का अद्योपान्त अवलोकन, मनन किया गया। वादीगण द्वारा ग्राम रायथल के पुराने खसरा नं0 789 रकबा 1 बीघा 19 के नवीन खसरा नम्बर व रकबा तथा इस आराजी का नवीन नक्शा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है जबकि रिपोर्ट तहसीलदार मांगरोल जो लैण्ड होल्डर व राजस्थान सरकार का पैरोकार है के अनुसार दौराने सेटलमेंट पुराने खसरा नं0 789 रकबा 1 बीघा 19 के नवीन खसरा सृजित नही किया गया जबकि पुराने खसरा नं0 789 का रकबा नवीन नम्बरो 918 व 919/2073 में दर्ज कर दिया गया है रकबे में कोई कमी नही हुई है। अतः वाद वादीगण औचित्यहीन है ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया